(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1262/तीन/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 06-05-2014 पारित द्वारा अपर तहसीलदार टप्पा नामली, जिला रतलाम प्रकरण क्रमांक 189/अ-12/2013-14

संतोष पिता बाबुलालजी

निवासी ग्राम नामली तहसील व जिला रतलाम .....आवेदक

विरूद्ध

राधेश्याम पिता भागीरथजी

निवासी ग्राम नामली तहसील व जिला रतलाम .....अनावेदक

श्री ए.आर. यादव, अभिभाषक, आवेदक

श्री के.सी. बंसल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार टप्पा नामली, जिला रतलाम द्वारा पारित दिनांक 06-05-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अपर तहसीलदार टप्पा नामली तहसील व जिला रतलाम के समक्ष ग्राम नामली में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 415 रकबा 2.670 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया गया । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी-1262-तीन/2016 दर्ज कर दिनांक 06-05-2014 को आदेश पारित कर

राजस्व निरीक्षक को सीमांकन कराने के निर्देश दिये गये । अपर तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जो सीमांकन आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 06-05-2014 को आदेश पारित करवाया है, एवं उसके आधार पर जो सीमांकन पंचनामा व प्रतिवेदन पुन: अधीनस्थ न्यायालय, अपर तहसीलदार टप्पा नामली जिला रतलाम के न्यायालय में प्रस्तुत किया, उस सीमांकन पंचनामा व प्रतिवेदन को प्राप्त करने के बाद सीमांकन को अंतिम नही किये जाने के कारण सीमांकन आदेश ही अवैध हो जाने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्ती योग्य है । यह भी कहा गया कि पटवारी मौजा नामली व राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 टप्पा नामली जिला रतलाम से अनावेदक ने मिलीभगत कर जो पंचनामा व प्रतिवेदन निर्मित करायें है, व इससे स्पष्ट हे कि जो सीमांकन पंचनामाव प्रतिवेदन बनाया है उसमें स्पष्ट रूप से " उक्त भूमि के उत्तर पश्चिम की ओर पडोसी कृषक संतोष पिता बाबुलालजी के आधिपत्य में लगभग रकबा 0.110 हेक्टेयर भूमि पाई गई ।" पृथक से पंचनामा बनाने के बाद लाईन लिखकर बढ़ाई है तथा उक्त लाईन को प्रतिवेदन में भी बढ़ाया गया है । उक्त लाईन का बाद में बढ़ाया जाना इस बात से भी स्पष्ट है कि दिनांक 23-06-2014 को पंचनामा बनाया गया है जबकि प्रतिवेदन दिनांक 07-07-2014 को बनाया गया है एवं पंचनामा हमेशा मौके पर बनाया जाता है एवं मौके पर अगर पंचनामा बनाया गया होता तो प्रतिवेदन में जो दिनांक 07-07-2014 को बनाया है । ऐसे निर्मित पंचनामा प्रतिवेदन बनने के कारण सीमांकन आदेश का पालन विधि की प्रक्रिया अनुसार नहीं किये जाने से प्रथम दृष्टया निरस्ती योग्य है । यह तर्क भी प्रसतुत किया गया कि विधि अनुसार रेकार्ड में दर्ज समस्त सहकृषकों को सूचना पत्र दिये जाने चाहिये जबकि पटवारी मौजा व राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 टप्पा नामली जिला रतलाम द्वारा किसी भी कृषक व सहकृषक को सूचना नहीं दी है तथा विधि की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है एवं सीमांकन आदेश का विधिवत पालन नहीं करने के कारण सीमांकन आदेश ही प्रथम दृष्टया निरस्ती योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन के संबंध में अनावेदक राधेश्याम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर तहसीलदार टप्पा नामली जिला रतलाम में सहिता की धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत करने तथा उक्त प्रतिवेदन व पंचनामा पूर्णत: अवैध निर्मित किये हुये होने के संबंध में अपर तहसीलदार को निरीक्षण कराने के बाद भी प्रकरण में साक्ष्य अंकित कराने हेतु प्रोसेडिंग कराने अनावेदक द्वारा निगरानी करने हेतु दिनांक 21-02-2015 को सीमांकन प्रकरण क्रमांक 189/अ-12/2013-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि

प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 18-01-2016 को प्राप्त होने एवं तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि की नकल दिनांक 20-01-2016 को प्राप्त होने एवं अवैध सीमांकन व वादी के स्वत्व कृषि भूमि पर होने के कारण वादी द्वारा स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने एवं वाद में दिनांक 10-02-2016 नियत होने पर अपने अभिभाषक से मिलने पर यह जानकारी होने पर कि अवैध सीमांकन को निरस्त कराये जाये हेतु निगरानी करना आवश्यक है इस तथ्य की जानकारी होने पर जानकारी दिनांक 10-02-2016 से यह निगरानी अंदर अवधि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है फिर भी सीमांकन दिनांक 23-06-2014 ये लेकर दिनांक 12-02-2016 तक के विलम्ब से माफी प्राप्त करने हेतु धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र इस निगरानी के साथ पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है तथा निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णत: वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है जो कि सीमांकन नियमों का स्पष्ट उल्लघंन है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसील न्यायलय द्वारा किया गया सीमांकन निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि उभयपक्ष सहित पड़ोसी कृषकों को विधिवत् सूचना दी जाकर उनकी उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार टप्पा नामली, जिला रतलाम द्वारा पारित दिनांक 06-05-2014 निरस्त किया जाता है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष सहित पड़ोसी कृषकों को विधिवत् सूचना दी जाकर उनकी उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करने के लिये प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर